निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

13 14/3/14 1:35 PM

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग– 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मै लोक सभा के निर्वाचन के लिए 40 जमुई-अ०जा० संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम चिराग कुमार पासवान पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम राम विलास पासवान उसका डाक पता मैत्रीजीटोला, ग्राम+पो०-शहरबन्नी थाना व अंचल-अलौली जिला-खगड़िया (बिहार) उसका नाम 25 खगड़िया सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट 148 अलौली अ०जा० विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 05 में क्रम सं0 615 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम विजय कुमार सिंह है जो 40 जमुई-अ०जा० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट 243 चकाई विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 188 में क्रम सं0 671 पर प्रविष्ट है ।

तारीख 19-03-2014

विजय कुमार सिंह
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग– 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते है ।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/माता/पति का नाम ....

उसका डाक पता ....

उसका नाम .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट .... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .... में क्रम सं0............ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विषिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्याक	उस भाग में क्रम सं0	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीर
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें :— प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग— 3

मै भाग 1/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैने ....32.......... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ....लोक जनशक्ति पार्टी.......... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में **मान्यताप्राप्त ~~राष्ट्रीय दल~~/राज्य दल** है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो **रँजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त** राजनैतिक दल है । मै यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) .... (ii) .... (iii) .... है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम ऊपर ....हिन्दी.......... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मै लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ ~~और निरर्हित भी नहीं हूँ~~ ।

*मै यह भी घोषणा करता हूँ कि मै **जाति/~~जनजाति~~ का सदस्य हूँ जो ....बिहार........राज्य के उस राज्य में के ..सम्पूर्ण.. (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ....दुसाध.......... ***जाति/~~जनजाति~~ है ।

मै यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/~~उप निर्वाचनों~~ में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख ....19-03-2014....

Chirag Kumar Paswan

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :– "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग– 3 (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम– 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की–
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लघंन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या — ~~हाँ~~/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है । शून्य

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक ....शून्य........

(ii) पुलिस थाना (थाने) ....शून्य........

जिला (जिले) ....शून्य........

राज्य ....शून्य........

(iii) संबंद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधो) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ....शून्य....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख /(तारीखें) ....शून्य........

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ....शून्य....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें ....शून्य........

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ....शून्य........

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : ~~हाँ~~/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टयां :– शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :– शून्य

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है शून्य

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो शून्य

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति शून्य

स्थान :– जमुई

तारीख :– 19-03-2014

Chora Kumar Paswan

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग– 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम संख्या– 13 यह नामनिर्देशन मुझे/ मेरे कार्यालय में 19.03.2014 तारीख, को 1:30 PM बजे, *अभ्यर्थी/ ~~प्रस्थापक~~ द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 19.03.2014

Shashi 19/3/14

(रिटर्निंग आफिसर)

निर्वाची पदाधिकारी,
40-जमुई (अ० जा०)
लोक सभा निर्वाचन क्षे...
सह
जिला पदाधिकारी, ...

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग– 5

नामनिर्देशन–पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैने इस नामनिर्देशन–पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मै निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

तारीख ....

(रिटर्निंग आफिसर)

अधिसूचना संख्या का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित

GOVT OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
COURT FEE
Authorization No. 3881

WELFARE STAMP Rs.5 BIHAR

NOTARY U.C. JAMUAR Area-Jamul Reg.No.2646 GOVT OF INDIA

INDIA 00000 0000020 375259 बिहार JUDICIAL 19.3.2014 BIHAR 215524 5260

प्ररूप 26

NOTARY U.C. JAMUAR Area-Jamul Reg.No.2646 GOVT OF INDIA

(नियम 4क देखिए)

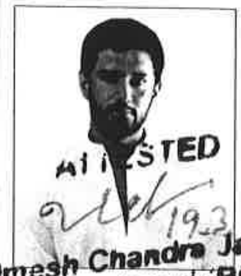

ATTESTED 19.3.2014 Umesh Chandra Jamuar Notary Jamui (Bihar)

40 - जमुई - अ० जा० .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से

1166
19.3.2014

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग – क

मैं, चिराग कुमार पासवान ** पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ रामविलास पासवान आयु 32 वर्ष, जो मंत्रीजी टोला ग्राम+पो० शहरबन्नी, थाना व अंचल- अलौली जिला- खगड़िया (बिहार) (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती~~ हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/~~करती~~ हूँ :–

(1) मैं लोक जनशक्ति पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 25 खगड़िया संसदीय के 148 अलौली अ.जा. (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 05 के कम सं. 615 ...... पर प्रविष्ट है ।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09810555055 है/ हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Chirag Paswan@yahoo.com है ।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है ।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	AIDPP8979L	2013-14	Rs 504387=00
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित – 1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित – 2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित – 3................	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
U.C. JAMUAR
Area-Jamui
Reg. no.2646
GOVT OF INDIA

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं । शून्य

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :– शून्य

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं । शून्य

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

NOTARY U.C. JAMUAR Area-Jamui Reg.No.2646 GOVT OF INDIA

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:- शून्य

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेष की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेष (आदेषों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है : शून्य

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगाः शून्य

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : शून्य

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेषों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है । यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे प्ति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी:—

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्षित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दिषा में कम सं0, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और षाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध—कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दषा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पश्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

NOTARY
JAMUI
Reg. No. 2646
GOVT OF INDIA

क्र.सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	हाथ में नकदी	25000/=	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	एनेक्सर-I संलग्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ षेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	Equity shares Rs:- 424000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक <u>ऋण/अग्रिम</u> और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्श और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि <u>दावों/हित</u> का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	Rs 1414470=49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY U.C. JAMUAR Area-Jamui Reg.No.2646 GOVT OF INDIA

ख. <u>स्थावर आस्तियों के ब्यौरे</u>

टिप्पणी::–

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्षित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर–कृशि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण	२२१/A श्रीकृष्णापुरी पटना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
U.C. JAMUAR
Area-Jamui
Reg.No.2646
GOVT OF INDIA

	संख्यांक (संख्याऐं)	2364 / 1123	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)	5512 Sqft.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	3307 Sqft.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	30-12-2013	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दशा में)	Rs 90 Lac with Building	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	Rs 90 Lac	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (**i**) से (**v**) का कुल चालू बाजार मूल्य	Rs 90 Lac	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को षोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-
(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र0. सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या षोध्य बैंक या वित्तिय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	P.N.B Raja Bazar Patna Rs 4458954/- House loan	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यश्टिकों, निकाय को ऋण या षोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	दायित्वों का कुल योग	Rs-4458954.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी षोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य षोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी षोध्य का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या काई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
U.C. JAMUAR
Area-Jamui
Reg.No.2646
GOVT OF INDIA

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं ...गैर सरकारी सेवा एवं समाज सेवा

ख. पति या पत्नी.......लागू नहीं होता है।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

10वीं – एयरफोर्स गोल्डेन जुबली इन्स्टीच्यूट सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली – केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली – 1998

12वीं – नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग गॉभमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली – स्वायतशासी संस्थान – 2003

बी०टेक (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग) – इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, झाँसी – बुन्देलखंड युनीवर्सिटी, झाँसी

प्रथम सेमेस्टर – 2005

द्वितीय सेमेस्टर – 2005

तृतीय सेमेस्टर –

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विष्वविद्यालय षिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्श जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) —

भाग–ख

NOTARY U.C JAMUAR Area-Jamui Reg.No 2646 GOVT OF INDIA

(11) भाग क के (1) से (10) मे तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धधरण —

1	अभ्यर्थी का नाम			श्री/~~श्रीमती/कु0~~ चिराग कुमार पासवान	
	डाक का पूरा पता			मेत्रीजी टेला, ग्रा०+पो०- शहरबन्नी थाना व अं०- अलौली जिला- खगड़िया (बिहार)	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य			40 जमुई- अ० जा० (बिहार)	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)			लोक जनशक्ति पार्टी	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं ।			शून्य	
	(ii)ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			शून्य	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोश ठहराया गया एक वर्श या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिश्ट अपराधों के सिवाए]			शून्य शून्य शून्य शून्य	
7.		....का स्थायी लेखा सं0		वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AIDPP8979-L		2013-14	Rs 504387=00
	(ख) पति या पत्नी	शून्य		शून्य	शून्य
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)				

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	Rs– 1414470=48	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	Rs- 90 lac (नब्बे लाख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो) ....की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	Rs 90 Lac (नब्बे लाख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
(i)	सरकारी षोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	Rs:- 4458954/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	स्रकारी षोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
U.C. JAMUAR
Area-Jamui
Reg.No.2646
GOVT OF INDIA

	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: बी॰टेक कम्प्यूटर इंजी॰- इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, झांसी - बुंदेलखंड युनिवर्सिटी झां॰ - तृतीय सेमेस्टर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय षिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और वर्श जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

NOTARY U.C JAMUAR Area-Jamui Reg.no.2646 GOVT OF INDIA

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तत्य नही छिपाया गया है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि:–

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज तारीख 19-3-2014 को सत्यापित किया

Sri/Smt. Chirag Kumar Paswan
Who is Identified by Sri. N. Yadav
Advocate Solemnly affirmed and declared before me
19.3.2014
Umesh Chandra Jamuar
Notary, Jamui (Bihar)

Chirag Kumar Paswan
Naresh Yadav Adv.
19-3-2014
अभिसाक्षी

नोट:– 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी षपथ कमिष्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "षून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ–पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं0 121–रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक

13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोंडा जा सकता है। शपथ–पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ–पत्र के सभी कॉलम भरे हुए है। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी । उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोडना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ–पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:–

"मेरा टेलीफोन नं0 ....है/हैं,
मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) ....है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) ....हैं।"

एनेक्सर – I

प्रारुप – 26 भाग – क

5. (ii) (a) Rs. 9,14,470=49 (सावधि ज़मा)

दिनांक – 31-10-2013

खाता सं0 – 90362010035567

सिंडीकेंट बैंक, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली।

NOTARY U.C. JAMUAR Area-Jamui Reg.No.2646 GOVT OF INDIA

(b) Rs. 51,000=00 (चालू खाता)

दिनांक – 15-03-2014

खाता सं0 – 33728413621

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गोपालपुर, जमुई। Chirag Kumar Paswan